राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–3/2017/जयपुर

मैसर्स एन.एच.बी. बॉल एण्ड रोलर लिमिटेड,
हसनपुरा, जयपुर ...अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.के.झा, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 01.08.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 407/अपील्स–I/आरवीएटी/जयपुर/2015–16 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 22.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 23.11.2015 के जरिये आरोपित मांग राशि रूपये 3,27,636/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 18.11.2015 को वाहन संख्या HR-55-Q-0921 को जांच हेतु रोका गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा इन्वॉयस, बिल्टी के साथ वैट 47 (physical form-manually filled) पेश किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया कि परिवहनित माल स्टील बॉल को राज्य में मंगाये जाने के लिये विभागीय अधिसूचना क्रमांक F.16(463)PT-1/VAT/TAX/CCT/2013/5693 दिनांक 14.05.2015 के अनुपालना में 25 लाख रूपये से अधिक पण्यावर्त वाले व्यवहारियों के लिये वैट घोषणा प्रपत्र 47ए जो कि electronically generated form होता है, वक्त परिवहन संलग्न होना चाहिए था। लेकिन इस मार्गस्थ माल के साथ वैट 47ए संलग्न नहीं था। जांच अधिकारी द्वारा उक्त संव्यवहार को करवंचना की नीयत से किया जाना मानते हुए वाहन को निरूद्ध किया गया तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे

निरन्तर.....2

करापवंचन का कृत्य एवं धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 3,27,636/– आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को यथावत रखा गया। इस अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताया और कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा घोषणा प्रपत्र "एफ" के समर्थन पर माल स्टील बॉल्स स्टॉक ट्रांसफर पर राज्य में मंगाये गये। अपीलार्थी द्वारा माल परिवहनित माल के संबंध में घोषणा पत्र VAT 47 जो कि physical form में पूर्व से ही प्रचलन में रहा है तथा जो व्यवहारी द्वारा manually ही भरा जाता है, ही प्रस्तुत किया गया था। जांच के समय घोषणा प्रपत्र वैट–47 परिवहनित माल के साथ में था एवं उक्त फॉर्म विभाग द्वारा ही जारी किये गये हैं और जिन्हें आदिनांक तक निरस्त या अप्रचलित घोषित नहीं किया गया, इसलिये उक्त घोषणा प्रपत्र वैट–47 manual/physical form में वैध है। अपीलार्थी द्वारा अपने ज्ञान के मुताबिक परिवहनित माल के साथ समस्त दस्तावेज यथा इन्वॉइस, जी.आर. तथा घोषणा प्रपत्र वैट–47 वक्त परिवहन संलग्न किये गये थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों को मिथ्या अथवा बोगस प्रमाणित नहीं किया है, अतः उन्होंने आरोपित शास्ति को अविधिक बताया। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

(a) Cera Tech India Ltd. Vs ACTO Bhiwadi, Alwar,
(2013) 35 Tax Update page 49, order date 07.01.2013
(b) ACTO, Alwar Vs Rathi Bars
SB STR No. 239/2011 order dated 11.02.2013
(c) Videocon Industries Vs ACTO, Flying squad, Nimbahera, order date 28-08-2014

अपने प्रकरण को इन निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित होने का कथन करते हुए आरोपित शास्ति राशि को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वैट नियम 53 में दिनांक 09.03.2015 से संशोधन कर दिया गया था तथा इलेक्ट्रोनिकली जनरेटेड फॉर्म वैट–47ए संबंधी प्रावधान कर दिये गये थे तथा उपनियम (2) में आयुक्त, वाणिज्यिक कर (जिसे आगे **"आयुक्त"** कहा जायेगा) को

निरन्तर.....3

यह शक्तियां प्रदान की गई थी कि वह किसी श्रेणी विशेष के व्यवसाइयों द्वारा फॉर्म वैट–47ए जनरेट करने हेतु अधिसूचित कर सकेगा तथा आयुक्त द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही अधिसूचना दिनांक 14.05.2015 के द्वारा रूपये 25 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यवहारियों हेतु उक्त फॉर्म वैट–47ए जनरेट करना आवश्यक किया है। अपीलार्थी ने विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया शास्ति आरोपण तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना पूर्णतः विधिसम्मत है, अतः उन्होनें अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा The Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 का नियम 53 दिनांक 09.03.2015 को प्रतिस्थापित करते हुए राज्य के भीतर आने वाले अधिसूचित माल के संबंध में दिये जाने वाले घोषणा पत्र वैट–47 के स्थान पर Electronically generated Form VAT-47A दिये जाने का प्रावधान किया था एवं नियम 53(2) के अंतर्गत आयुक्त को यह अधिकृत किया गया है कि फॉर्म वैट–47 के स्थान पर Form VAT-47A करने हेतु ऐसे व्यवहारियों की श्रेणी (any class of dealers) वह अधिसूचित कर सकेगा। इस नियम के अनुसरण में आयुक्त द्वारा VAT-47A electronically generate करने हेतु अधिसूचना दिनांक 14.05.2015 के द्वारा ऐसे व्यवहारियों को अधिसूचित किया है जिनका वर्ष 2014–15 या उत्तरवर्ती वर्षों में टर्नओवर रूपये 25 लाख या अधिक हो। सुलभ संदर्भ हेतु नियम 53 (1) एवं (2) का अवलोकन आवश्यक है, जो निम्नानुसार है :–

> **"53. Declaration required to be furnished regarding the goods for import within the State.-** (1) Every registered dealer, except those as notified under sub-rule (2) by the Commissioner,-
>
> (i) who imports from any place outside the State, any taxable goods, as may be notified by the State Government, for sale; or
>
> (ii) who receives any taxable goods, as may be notified by the State Government, consigned to him from outside the State or by way of branch transfer/depot transfer/stock transfer; or
>
> (iii) who intends to bring, import or otherwise receives any taxable goods, as may be notified by the State Government, from outside the State for use, consumption, or disposal otherwise than by way of sale, shall furnish or cause to be furnished a declaration in Form VAT-47, completely filled in all respect in ink and ensure that the value, date and month of use of such Form shall be punched at the specified place provided for in the Form. The counterfoil of the declaration Form shall be retained by such dealer and its portions marked as 'Original' and 'Duplicate' shall be carried with the goods in movement. **However, such dealer may carry Form VAT-47A generated through official website of the Department, in lieu of Form VAT-47.**
>
> Explanation: For the purpose of this rule, 'taxable goods' means all goods, except the goods which are exempted from tax under Schedule-I appended to the Act.
>
> (2) The Commissioner may notify any class of dealers, who shall generate Form VAT47A or the identification number through the official website of the Department in lieu of Form VAT-47 before the goods enter into the territory

निरन्तर.....4

of the State. To generate Form VAT-47A, the dealer shall submit the information as required either through the official website of the Department or through a mobile application downloaded through the official website of the Department in such manner as provided therein.

नियम 53(1)(iii) के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य में आने वाले अधिसूचित माल के साथ में घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत किया जाना निर्देशित है तथा व्यवहारी को यह विकल्प है कि वह इसके स्थान पर घोषणा पत्र वैट 47ए भी प्रस्तुत कर सकता है। नियम 53(2) में आयुक्त को अधिकृत किया गया है कि वह किसी श्रेणी के व्यवहारियों को electronically generated घोषणा पत्र वैट 47ए प्रस्तुत करने हेतु अधिसूचित करे। अर्थात तत्समय प्रचलित Form VAT-47 को अप्रचलित घोषित नहीं किया गया है तथा आयुक्त द्वारा अधिसूचित श्रेणी के व्यवहारियों के अलावा अन्य हेतु Form VAT-47 प्रचलन में रहा है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा सद्विश्वास में तथा सम्भवतः जानकारी के अभाव में Form VAT-47 पूर्णरूपेण भरकर माल के अन्य दस्तावेजों के साथ जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। आयुक्त द्वारा Form VAT-47A electronically generate करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 01.07.2015 से प्रभावी की गई थी तथा प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 18.11.2015 का ही है, अतः उपयुक्त प्रचार प्रसार के अभाव में सम्भव है कि उक्त जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो पायी है और उसने पूर्व की भांति Form VAT- 47 सद्विश्वास में भरकर माल के अन्य प्रपत्रों के साथ में लगा दिया। उक्त घोषणा पत्र VAT- 47 लागू करने का मूल मंतव्य करवंचना को रोकना रहा है तथा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा विभाग से जारी घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है, अतः इसमें करवंचना की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है। मार्गस्थ माल के संबंध में अपीलार्थी द्वारा electronically generated Form VAT-47A के स्थान पर Physical form VAT-47 पेश किया गया है जिसे तथ्य एवं परिस्थिति के मध्यनजर एक technical mistake ही माना जाना चाहिये तथा जिसके लिये शास्ति का आरोपण किया जाना अधिनियम के संबंधित प्रावधानों की भावना के अनुरूप नहीं है। लिहाजा इस तकनीकी त्रुटि के लिये आरोपित शास्ति अपास्त किये जाने योग्य है तथा तद्नुसार अपीलीय आदेश भी अपास्त किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

01.08.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य